विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 11842/वि.स./स्था./2023 भोपाल, दिनांक 27/06/ 2023

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-3, समिति सहायक एवं सुपरवाइजर (विधायक विश्राम गृह) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-3, समिति सहायक एवं सुपरवाइजर (विधायक विश्राम गृह) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में **दिनांक 14.07.2023** तक ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या										कुल रिक्तियों में से नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	पदों का वेतनमान
		अना.		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		ई.डब्ल्यू.एस.				
		ओपेन	महिला	ओपेन	महिला	ओपेन	महिला	ओपेन	महिला	ओपेन	महिला			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	स्टेनो-टाइपिस्ट	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	निरंक	02	मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000)
2.	शीघ्रलेखक	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	निरंक	01	मैट्रिक्स लेवल-7 (28700-91300)
3.	सहायक ग्रेड-3	-	-	-	01	01	-	01	01	04	-	नि:शक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से नि:शक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के विना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है।	08	मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000)
4.	समिति सहायक	-	-	01	01	02	01	02	01	01	-	निरंक	09	मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000)
5.	सुपरवाइजर (विधायक विश्राम गृह)	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	निरंक	01	मैट्रिक्स लेवल-6 (25300-80500)
	योग-	-	-	01	02	04	01	04	02	07	-		21	

विस्तृत विज्ञापन, पात्रता की शर्तें, ऑफलाइन आवेदन की तिथि, विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं, प्रक्रिया आदि अन्य विवरण मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाइट **https://mpvidhansabha.nic.in** पर उपलब्ध है।

सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

इंदिरा गांधी विधान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462004

क्रमांक 11842/वि.स./ स्था. / 2023 भोपाल, दिनांक 27/06/2023

स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-3, समिति सहायक एवं सुपरवाइजर (विधायक विश्राम गृह) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के अधीन स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-3, समिति सहायक, एवं सुपरवाइजर (विधायक विश्राम गृह) के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाईन आवेदन पत्र विधान सभा सचिवालय में आमंत्रित किये जाते हैं।

कार्यक्रम

ऑफलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	28.06.2023
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	14.07.2023

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या										कुल रिक्तियों में से नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	पदों का वेतनमान
		अना.		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		ई.डब्ल्यू.एस.				
		ओपेन	महिला	ओपेन	महिला	ओपेन	महिला	ओपेन	महिला	ओपेन	महिला			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	स्टेनो-टाइपिस्ट	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	निरंक	02	मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000)
2.	शीघ्रलेखक	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	निरंक	01	मैट्रिक्स लेवल-7 (28700-91300)
3.	सहायक ग्रेड-3	-	-	-	01	01	-	01	01	04	-	नि:शक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से नि:शक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है।	08	मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000)
4.	समिति सहायक	-	-	01	01	02	01	02	01	01	-	निरंक	09	मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000)
5.	सुपरवाइजर (विधायक विश्राम गृह)	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	निरंक	01	मैट्रिक्स लेवल-6 (25300-80500)
	योग-	-	-	01	02	04	01	04	02	07	-		21	

1. नोटः-

(1) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(2) यह विज्ञापन सचिवालय के भर्ती नियम एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।

(3) इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए **संलग्न ''प्रारूप''** अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है।

(4) एक से अधिक पदों के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य होंगे।

(5) बाह्य अभ्यर्थियों का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है तथा पंजीयन क्रमांक, पंजीयन कार्यालय का स्थान आदि का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।

(6) इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, तो वह भी आवेदन करने का पात्र है, किन्तु तकनीकी परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि तक वर्णित वांछित अर्हता में उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(7) आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक/तकनीकी/अनुभव अभिलेखों की स्व-प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ संलग्न की जाना आवश्यक हैं।

(8) ऑफलाइन आवेदन हेतु पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम फोटोग्राफ में से 01 फोटो आवेदन पत्र में चस्पा करना अनिवार्य है, सचिवालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को शेष 02 फोटो यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। फोटो का बैकग्राउंड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें तथा कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए।

(9) ऑफलाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी चरण में अथवा परिणाम घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता / चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(10) राज्य शासन द्वारा नवीन रोस्टर के संबंध में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पदों की गणना की गई है।

(11) अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों संबंधी भर्ती हेतु गति/टंकण/कौशल परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से दी जाएगी।

(12) पदों की संख्या में आरक्षण आदि न्यायालयीन निर्णय अनुसार समायोजन योग्य होगा।

(13) विधान सभा सचिवालय में वर्ष, 2022 में स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड-3 एवं सुरक्षा गार्ड के पदों पर भर्ती संबंधी पूर्व की कार्यवाही निरस्त की गई है।

(14) अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाईल नम्बर पर सभी सूचनाएं/निर्देश एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित किए जा सकेंगे, तथा यथा आवश्यक अभ्यर्थी के ई-मेल आईडी के माध्यम से ही प्रेषित किए जाएंगे।

(1) पद का विवरण एवं वेतनमान :

a.	पद का नाम	:	**स्टेनो टायपिस्ट**
b.	रिक्त पद संख्या	:	02
c.	श्रेणी	:	तृतीय श्रेणी
d.	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	:	मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000) इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित वेतन/वेतन मैट्रिक्स लेवल आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
e.	परिवीक्षा अवधि	:	चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

➢ **आवश्यक शैक्षणिक/शारीरिक अर्हताएं-**

(i) हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद/विश्वविद्यालय से 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण।

(iii) मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test-CPCT) का जीवित स्कोर कार्ड आवश्यक है। हिन्दी टाइपिंग में 20 शब्द प्रति मिनिट अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टायपिंग 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण हो।

(2) पद का विवरण एवं वेतनमान :

a.	पद का नाम	:	**शीघ्रलेखक**
b.	रिक्त पद संख्या	:	01
c.	श्रेणी	:	तृतीय श्रेणी
d.	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	:	मैट्रिक्स लेवल-7 (28700-91300) इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित वेतन/वेतन मैट्रिक्स लेवल आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
e.	परिवीक्षा अवधि	:	चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

➢ **आवश्यक शैक्षणिक/शारीरिक अर्हताएं-**

(i) हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद/विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।

(iii) मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test-CPCT) का जीवित स्कोर कार्ड आवश्यक है। हिन्दी टाइपिंग में 20 शब्द प्रति मिनिट अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टायपिंग 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण हो।

(3) पद का विवरण एवं वेतनमान :

a.	पद का नाम	:	**सहायक ग्रेड-3**
b.	रिक्त पद संख्या	:	08
c.	श्रेणी	:	तृतीय श्रेणी
d.	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	:	मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000) इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित वेतन/वेतन मैट्रिक्स लेवल आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
e.	परिवीक्षा अवधि	:	चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

➢ **आवश्यक शैक्षणिक/शारीरिक अर्हताएं-**

(i) हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

(ii) मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test-CPCT) का जीवित स्कोर कार्ड आवश्यक है। हिन्दी टाइपिंग में 20 शब्द प्रति मिनिट अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टायपिंग 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण हो।

(4) पद का विवरण एवं वेतनमान :

a.	पद का नाम	:	**समिति सहायक**
b.	रिक्त पद संख्या	:	09
c.	श्रेणी	:	तृतीय श्रेणी
d.	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	:	मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000) इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित वेतन/वेतन मैट्रिक्स लेवल आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
e.	परिवीक्षा अवधि	:	चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

➢ **आवश्यक शैक्षणिक/शारीरिक अर्हताएं-**

(i) हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

(ii) मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test-CPCT) का जीवित स्कोर कार्ड आवश्यक है। हिन्दी टाइपिंग में 20 शब्द प्रति मिनिट अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टायपिंग 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण हो।

(5) पद का विवरण एवं वेतनमान :

a.	पद का नाम	:	सुपरवाइजर (विधायक विश्राम गृह)
b.	रिक्त पद संख्या	:	01
c.	श्रेणी	:	तृतीय श्रेणी
d.	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	:	मैट्रिक्स लेवल-6 (25300-80500) इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित वेतन/वेतन मैट्रिक्स लेवल आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
e.	परिवीक्षा अवधि	:	चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

➢ **आवश्यक शैक्षणिक/शारीरिक अर्हताएं-**

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

(ii) पर्यवेक्षण कार्य का अनुभव।

2. **निर्धारित आयु सीमा : -** अभ्यर्थी की आयु सीमा दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। अधिकतम आयु सीमा में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

1.	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष

अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय- समय पर जारी संशोधन मान्य किये जायेंगे।

विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-18-85-3-1, दिनांक 3/9/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकेगी। परंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07-46-2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 18 सितम्बर, 2022 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती हेतु कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षो से भर्ती परीक्षाएं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी हैं, अत: अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसम्बर, 2023 तक अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षो की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान किया गया है।

3. अभ्यर्थी ऑफलाईन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी ।

4. **वांछित दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना** – गति परीक्षा/टंकण परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली मेरिट आधार पर तैयार की गयी सूची में हो, को सूची के आधार पर विधान सभा सचिवालय द्वारा, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

(A) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतया हाईस्कूल / हायर सेकेण्ड्री स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट अथवा तत्समय अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(B) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित समस्त वर्षों की अंक सूची की छायाप्रति।

(C) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम 05 वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र नियोक्ता से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(D) अन्य कोई दस्तावेज मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय की मांग अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(E) **जाति प्रमाण पत्र**

a. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/ शुल्क/ आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑफलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

b. अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों के अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मान्य नहीं किया जाएगा।

(F) **आय प्रमाण पत्र-**

a. अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अत: अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, जो आवेदन की तिथि से पूर्ववर्ती तीन वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

b. इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-07 11/2019/आ.प्र. 1 एक, दिनांक 2 जुलाई, 2019, दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं दिनांक 22 नवम्बर, 2019 में दिये गये निर्देश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ- 85-25-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शासकीय नौकरियों में 10 % आरक्षण दिया जायेगा।

c. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 % आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र निर्धारित मापदण्ड अनुसार तहसीलदार श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी मान्य किया जायेगा।

5. **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :**

यदि अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन के अधीन शासकीय विभाग / निगम/ मण्डल/ उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत बैंक, एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑफलाईन आवेदन कर सकते हैं परन्तु ऑफलाईन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" सीधे सचिवालय को भेजने का निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

6. **अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार :**

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा, जिसे सचिवालय ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो -

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो,

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो,

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/ किया हो,

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो,

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो,

(vi) लिखित गति परीक्षा/टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो,

(vii) लिखित गति परीक्षा/टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो,

(viii) लिखित गति परीक्षा/टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा के संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या करने का प्रयास किया हो,

(ix) प्रवेश पत्र / बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गयी किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो,

(x) लिखित गति परीक्षा/टंकण परीक्षा/कौशल में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो,

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी -

(i) सचिवालय द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा -

a. सचिवालय द्वारा ली जाने वाली लिखित गति परीक्षा/टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

b. राज्य शासन द्वारा या / उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा और

c. यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किये गये उल्लंघन के लिये उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि

i. अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

ii. अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न हो।

7. **चयन प्रक्रिया :**

विज्ञापित पदों पर चयन के लिये निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार लिखित गति परीक्षा/टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। सचिवालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थी का चयन लिखित गति परीक्षा/टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा/ साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

स्टेनो टाइपिस्ट की शीघ्रलेखन गति परीक्षा में अभ्यर्थियों को 05 मिनट में 400 शब्दों का हिन्दी डिक्टेशन दिया जाएगा। डिक्टेशन के अनुलेखन को कम्प्यूटर पर टाइप करने हेतु 40 मिनिट का समय प्रदान किया जाएगा। मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। शीघ्रलेखन गति परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से प्रदान की जावेगी। उपरोक्त नोटबुक में डिक्टेशन (Long Hand) में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काटे जावेंगे।

शीघ्रलेखक की शीघ्रलेखन गति परीक्षा में अभ्यर्थियों को 05 मिनट में 500 शब्दों का हिन्दी डिक्टेशन दिया जाएगा। डिक्टेशन के अनुलेखन को कम्प्यूटर पर टाइप करने हेतु 50 मिनिट का समय प्रदान किया जाएगा। मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। शीघ्रलेखन गति परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से प्रदान की जावेगी। उपरोक्त नोटबुक में डिक्टेशन (Long Hand) में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काटे जावेंगे।

स्टेनों टाइपिस्ट एवं शीघ्रलेखक के लिए अतिरिक्त योग्यता हेतु कम्प्यूटर पर 05 मिनिट में 150 शब्दों का अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो अभ्यर्थियों के लिए ऐच्छिक होगा, जिसके लिए पृथक से कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

सहायक ग्रेड-3 एवं समिति सहायक की टंकण गति परीक्षा में अभ्यर्थियों से 15 मिनट में 400 शब्दों का हिन्दी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के दौरान व पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। टाइपिंग टेस्ट हेतु पेपर पृथक से प्रदान किया जावेगा।

8. **आवेदन शुल्क** : समस्त पदों के लिए आवेदन नि:शुल्क होगा।

9. **निरर्हता :**

(i) मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा, जो हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है, जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्मतिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(iii) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(iv) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

10. अन्य:

(i) सूचना पत्र/प्रवेश पत्र लिखित गति परीक्षा/टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा लगभग 10 दिन पूर्व प्रेषित किए जाएगे।

(ii) सूचना पत्र/प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से भेजे जाएंगे। इस संबंध में किया गया कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(iii) अभ्यर्थियों को लिखित गति परीक्षा/टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा में सूचना पत्र/प्रवेश पत्र के साथ मान्यता प्राप्त कोई एक परिचय पत्र लाना अनिवार्य है। परिचय पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्रायविंग लायसेंस/आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाणित दस्तावेज मान्य होंगे। इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(iv) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। संलग्न प्रारूप में अपना विवरण प्रस्तुत किए जाने पर ई भुगतान पद्धति से किया जावेगा।

11. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):

इस विज्ञप्ति में लिखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार विधान सभा सचिवालय का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा। सचिवालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

27.06.2023

अपर सचिव,
म.प्र. विधान सभा सचिवालय.